

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक.....11 जनवरी, 2022

का.आ._____ (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 29) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 01 जुलाई, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 56 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फाइल सं. 1/3/2020-सीएल.1]

के.वी.आर. मूर्ति

के.वी.आर. मूर्ति 11/1/2022

संयुक्त सचिव, भारत सरकार


[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, the 11 January, 2022

S.O. _____(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2020 (29 of 2020), the Central Government hereby appoints the 1st July, 2022, as the date on which the provisions of section 56 of the said Act shall come into force.

[File No. 1 /3 /2020-CL.I]


11/1/2022

K.V.R. Murty

Joint Secretary to the Government of India